

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/24/7176

दिनांक:

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 25.09.2024 द्वारा श्रीमती कैलाशी सदस्य वार्ड सं. 26 को नगर पालिका अकलेरा के अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया गया था।

उक्त आदेश की निरंतरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कैलाशी सदस्य वार्ड सं. 26 को नगर पालिका अकलेरा के अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/24/7177-7189 दिनांक: 27/11/2024
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलक्टर झालावाड़।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगाम अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज. सचिवालय जयपुर।
8. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
9. उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा।
10. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका अकलेरा।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Signature valid

RajKaj Ref
12040374



Digitally signed by Kumar Pal Gautam
Designation : Special Secretary To
Government
Date: 2024.11.27 14:06:45 IST
Reason: Approved